(1)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP46242306209522V

Acc. Name CHANDRA PRAKASH DWIVEDI
Acc Code-14111704
Acc Address KUNDA Mobile-9795726654
No.-29 Teh.& Distt.-Kunda-Pratapgarh

IV e-Stamp

125/23

₹1,000

Certificate No.	:	IN-UP46242306209522V
Certificate Issued Date	:	18-Oct-2023 11:36 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14111704/ PRATAPGARH/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14111704882263391030 95V
Purchased by	:	VIDYOTTMA SINGH WIFE OF SHARAD KUMAR SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VIDYOTTMA SINGH WIFE OF SHARAD KUMAR SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VIDYOTTMA SINGH WIFE OF SHARAD KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

सत्यमेव जयते

₹1,000

IN-UP46242306209522V



Please write or type below this line

अब्दुल वाहिद [illegible]
एडवोकेट
रजि० सं० UP10374/15
कुण्डा–प्रतापगढ
9455808628

यह सामाजिक कल्याण पारमार्थिक न्यास (एम. आर. एस. सोशल वेलफेयर एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट) विलेख **दिनाँक- 18/10/2023** को निष्पादित किया गया :-

श्रीमती विद्योत्मा सिंह पत्नी श्री शरद कुमार सिंह, निवासी हीरागंज वार्ड नं० 15, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट जगापुर, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/0319

RD 0013475812

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by PDF Scanner

आवेदन सं०: 202300881010251

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 125 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580





श्रीमती विद्योतमा सिंह ,
पत्नी श्री शरद कुमार सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: वार्ड नं 09 हीरागंज, नगर पंचायत हीरागंज बाज़ार, तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 18/10/2023 एवं 01:10:58 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमरजीत सिंह प्रभारी
उप निबंधक :कुंडा
प्रतापगढ़
18/10/2023

श्रीमती सुनीता .
निबंधक लिपिक
18/10/2023

प्रिंट करें

Scanned by PDF Scanner

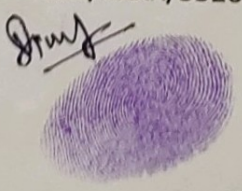
जिन्हें इसके पश्चात प्रधान न्यासी सम्बोधित किया गया है: (जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो इसके कार्यपालको, प्रशासकों, प्रतिनिधियों एवं सदस्यों को शामिल माना जाएगा) न्यास के सहायक न्यासियों (न्यास समिति) के विवरण निम्नलिखित है :-

1) श्री शरद कुमार सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी हीरागंज वार्ड नं० 15, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट जगापुर, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/4611

2) श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० महादेव सिंह, निवासी हीरागंज वार्ड नं० 15, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट जगापुर, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/3889

3) श्रीमती श्वेता सिंह पत्नी श्री कौशलेन्द्र सिंह निवासिनी केएलपी- 1/204 एयर फोर्स स्टेशन हिंडन, हिंडो एयर फील्ड जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 201004, आधार संख्या– XXXX/XXXX/6372

4) श्री चन्द्र भान सिंह पुत्र बृजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम होलपुर मजरे सराय गोपाल, पोस्ट खेमीपुर, थाना तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/5520



Scanned by PDF Scanner

आवेदन सं०: 202300881010251

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 125 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती विद्योतमा सिंह, पत्नी श्री शरद कुमार सिंह

निवासी: वार्ड नं 09 हीरागंज, नगर पंचायत हीरागंज बाज़ार, तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़

व्यवसाय: अन्य




ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मोहम्मद आसिफ, पुत्र श्री इश्तियक अहमद

निवासी: वार्ड नं 09 हीरागंज, नगर पंचायत हीरागंज बाज़ार, तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2




श्री जमील, पुत्र श्री मुख्तार अहमद

निवासी: वार्ड नं 09 हीरागंज, नगर पंचायत हीरागंज बाज़ार, तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़

व्यवसाय: अन्य




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अमरजीत सिंह प्रभारी
उप निबंधक : कुंडा
प्रतापगढ़
18/10/2023

श्रीमती सुनीता
निबंधक लिपिक प्रतापगढ़
18/10/2023

प्रिंट करें

Scanned by PDF Scanner

5) श्री शशांक प्रताप सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम गोरापुर, पोस्ट सिकंदरा, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 212109, आधार संख्या– XXXX/XXXX/3076

6) श्री प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र श्री शिव प्रसाद मौर्या निवासी राजा का पुरवा वार्ड नं० 09, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट ऐंधा, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/0404

जिन्हें इसके पश्चात संयुक्त रुप से न्यासी सम्बोधित किया गया है (जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो, वर्तमान में कार्यरत प्रधान न्यासी या सहायक न्यासियों को तथा इनके बाद इनके पश्चातवर्ती पद धारण करने वाले वालों को शामिल माना जाएगा) जबकि प्रधान न्यासी सहायक न्यासियों के साथ अल्पसंख्यक कल्याण पारमार्थिक उद्देश्यों के लिए न्यास स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, और जबकि सहायक न्यासियो ने प्रधान न्यासी के निवेदन पर, इस विलेख के अधीन सहायक न्यासी के रूप में कार्य करने की सहमति दी है और इस विलेख को निष्पादित कर रहे हैं, और जबकि इस विलेख के अधीन गठित किए जाने वाले अल्पसंख्यक कल्याण पारमार्थिक न्यास के उद्देश्यों और शर्तों की घोषणा करना आवश्यक है,

<u>अब यह विलेख निम्न उद्देश्यों को साक्ष्यांकित करता है :-</u>

अपनी उक्त इक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान न्यासी ने इकरा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट को रु11000 (ग्यारह हजार रुपए) की राशि प्रदान की है, (जिसे इसके पश्चात न्यास 'न्यास -निधि' सम्बोधित किया जाएगा जिसमें नगदी अथवा अन्य चल-अचल सम्पत्ति अथवा सभी प्रकार के निवेश/विनियोग शामिल माने जाएंगे, जिसमें उक्त नगदी या उसके किसी भाग को समय-समय पर

Scanned by PDF Scanner

रूपान्तरित किया जाता है, निवेश किया जाता है, या बदल दिया जाता है अथवा प्रधान न्यासी व सहायक न्यासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा इस विलेख के माध्यम से या विलेख के सम्बन्ध में किसी कानून के लागू होने के कारण या अन्यथा उनके हाथ में आता है को भी समाहित माना जाएगा) तथा प्रधान न्यासी अथवा सहायक न्यासियों को उक्त राशि न्यास हेतु धारण करनी होगी एवं अपने कब्जे में रखनी होगी, जो कि इसके पश्चात बताई गई शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों एवं घोषणाओं के अधीन होगी। न्यास के नाम वर्तमान समय में उपरोक्त धनराशि ग्यारह हजार रुपए के अतिरिक्त किसी भी तरह की चल अचल सम्पत्ति नहीं है न्यास का कार्यालय न्यास के सम्पत्ति का भाग नहीं है।

2. **न्यास का नाम** - एम. आर. एस. सोशल वेलफेयर एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका **वर्तमान कार्यालय** - हीरागंज वार्ड नं० 15, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट जगापुर, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, में स्तिथ होगा जिसे समय-समय पर प्रधान न्यासी द्वारा अन्य स्थान/स्थानों में स्थापित किया जा सकेगा ।

3. **न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-**

[A]. समग्र सेवा तथा देश सेवा कार्य ।

[B]. सम्पूर्ण भारत वर्ष में आवश्यकतानुसार न्यास के नाम सम्पत्ति क्रय करना, न्यास की निजी अथवा किराए/लीज की सम्पत्तियों पर लड़के लड़कियों के लिए

Scanned by PDF Scanner

स्कूल, कॉलेज, प्राकृतिक मेडिकल कॉलेज, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, हॉस्टल्स, पुस्तकालय, यतीमखाना, मुसाफिरखाना, आदि जनकल्याणकारी संस्थान/संस्थानों को माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों राज्य एवम केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, विभागों, शासन प्रशासन के आदेशों/नियमों/शर्तों का पालन करते हुए नियमानुसार स्थापित करना, बनवाना समस्त प्रबन्ध करना ।

[C]. महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई दस्तकारी की निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ।

[D]. मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था कर संचालित करना तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाना ।

[E]. दहेज उन्मूलन, सामूहिक विवाह, जनकल्याण, मद्यनिषेध, पर्यावरण, प्रजनन एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य का लाभ महिलाओं, पुरुषों, बीमारों, यतीमो, बेवाओं और जन-सामान्य तक निःशुल्क पहुंचाना ।

[F]. ग्रामीण स्वच्छता के लिए शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा लोगों को स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की अनिवार्यता से अवगत कराना, जागरूक करना तथा शौचालय के निर्माण हेतु प्रेरित करना ।



Scanned by PDF Scanner

[G]. प्राकृतिक आपदाओं जैसे- अकाल, तूफान, भूकम्प, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित जरूरतमन्द लोगों को आवश्यक सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्य में लगी संस्थाओं को दान एवं अन्य सहायता प्रदान करना ।

[H]. शासन-प्रशासन द्वारा जनकल्याण हेतु संचालित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में यथा सम्भव सहयोग कर अन्तिम ब्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ।

[I]. बृद्धाश्रम की स्थापना करना एवम बृद्धजनों के जीवन यापन के लिए हर सम्भव प्रयास और प्रबन्ध करना ।

[J]. उत्कृष्ट शासकीय योजनाओं के हित में सामाजिक कार्यक्रमों को संचालित कर आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना, आखरी पायदान पर खड़े व्यक्ति/व्यक्तियों को लाभ दिलवाना ।

[K]. बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना हर सम्भव सहयोग प्रदान करना ।

[L]. मानवाधिकारों के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रम करके व्यापक प्रचार प्रसार करना लोगों को जागरूक करना ।



Scanned by PDF Scanner

[M]. न्यास द्वारा स्थापित संस्थाये राष्ट्रीय एकता अखण्डता व धर्म निरपेक्षता की भावना से ओत-प्रोत रहेगी, न्यास व 'न्यास निधि' हमेशा के लिए हालात के अनुसार वृद्धि करना परिवर्तित करना ।

4. प्रधान न्यासी में न्यास के समस्त अधिकार समाहित होंगे किसी भी प्रकरण में प्रधान न्यासी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

5. न्यास का प्रयोग उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दर्शाए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं किया जाएगा।

6. उपरोक्त अनुच्छेद 3 में दर्शाए गए उद्देश्यों की पूर्ति में शासन-प्रशासन के नियमानुसार जनप्रतिनिधियों की निधि का प्रयोग करना, जन सामान्य से दान-अनुदान प्राप्त करके प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अन्य से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त करना ।

7. प्रधान न्यासी द्वारा नियुक्त ब्यक्ति सदैव न्यास के आय-व्यय के समुचित लेख (हिसाब-किताब) बनाकर न्यास के कार्यालय में रखेगा ।

8. न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान न्यासी/सहायक न्यासियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

Scanned by PDF Scanner

(A) समस्त निवेश, आय-व्यय आदि केवल न्यास के नाम से ही किए जायेंगे ।

(B) न्यास द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता / मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश सरकार / भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा।

(C) प्रधान न्यासी को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार / ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रधान न्यासी को न्यास की सम्पत्तियों / अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर न्यास के उद्देश्यों के लिये उधार / ऋण / बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा न्यास के लाभ के लिये न्यास की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। प्रधान न्यासी को न्यास के उद्देश्यों के लिये न्यास की सम्पत्तियों / परिसम्पत्तियों को किराया / लीज पर देने का अधिकार होगा व न्यास के उद्देश्यों के लिये न्यास की सम्पत्तियों / परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(D) प्रधान न्यासी/ सहायक न्यासी प्रत्येक 4 महीने में न्यास की बैठके आयोजित करेंगे व आवश्यकता अनुसार एक सप्ताह की पूर्व नोटिस देकर कभी भी बैठक आयोजित की जा सकती है ।



Scanned by PDF Scanner

(E) किसी व्यक्ति/ किन्ही व्यक्तियों, व्यक्ति समूह/निकाय या न्यास से कोई दान, अंशदान, अनुदान या चंदा (जो नगद या वस्तु अर्थात चल-अचल सम्पत्ति के रूप में हो सकता है) प्रधान न्यासी/सहायक न्यासियों द्वारा स्वीकार करना ।

(F) न्यास के सम्पूर्ण आय या उसके किसी भाग को न्यास निधि या उसके संचयन को न्यास के किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों हेतु, जैसा कि प्रधान न्यासी स्वविवेक से उचित समझे प्रयोग करना ।

(G) न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के नाम से बैंक/ बैंकों में खाता/खाते खोलना, ऐसे खाते/खातों का परिचालन प्रधान न्यासी के हस्ताक्षर द्वारा किया जाना ।

(H) न्यास निधि से सम्बन्धित सभी वाद, दावों, मांगो एवं कार्यवाहियों का समायोजन, निपटान सुलह अथवा पंचनिर्णय हेतु सौपना, सक्षम अदालत द्वारा सम्पन्न कराना, न्यास के विरुद्ध की गई किसी भी तरह की वैधानिक कार्यवाही में प्रधान न्यासी/सहायक न्यासियों में से कोई एक सदस्य पक्षकार होंगे और समस्त वैधानिक कार्यवाहियों में उन्हें न्यास की ओर से पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार एवं पूर्ण जवाबदेही होगी ।

(I) न्यास का लेखांकन/ऑडिट वर्ष प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष होगा ।

Scanned by PDF Scanner

(J) विधिक अधिवक्ताओं/प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना इस विलेख के अधीन ऐसे वकीलों/प्रतिनिधियों को समय-समय पर एक से अधिक अधिकार प्रदान करना तथा ऐसे वकीलों या प्रतिनिधियों को हटाना तथा उनके स्थान पर अन्य को नियुक्त करना ।

(K) न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध भारतीय संवैधानिक न्यायालयों विशेषकर जिला प्रतापगढ़ में स्थापित न्यायालयों में किया जा सकेगा ।

(L) न्यास की समस्त कार्यवाहियाँ न्यास के प्रधान न्यासी स्वयं के द्वारा या इनके द्वारा अधिकृत सहायक न्यासी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही अमल में लायी जावेगी ।

(M) प्रधान न्यासी के अनुपस्थिति में न्यास के सहायक न्यासी प्रथम को प्रधान न्यासी के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, न्यास की बैठक व अन्य समस्त कार्यों का संचालन करेगा।

(N) प्रधान न्यासी के मृत्यु के पश्चात प्रधान न्यासी का ज्येष्ठ पुत्र न्यास का प्रधान न्यासी होगा पुत्र न होने की दशा में वरासतन जायज वारिस प्रधान न्यासी होगा यह प्रक्रिया वंशानुगत चलती रहेगी।

यहाँ से स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की सम्पत्ति अथवा उसकी आय या उनमें हुई बढ़ोत्तरी के किसी भी अंश को ऐसे किसी भी

Scanned by PDF Scanner

उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो कानून के अनुसार सामाजिक कल्याण पारमार्थिक उद्देश्यों के विपरीत हो ।

प्रधान न्यासी/न्यास लेखक :-

1. **साक्षी का नाम :-** मो० आसिफ पुत्र इश्तियाक अली, निवासी हीरागंज वार्ड नं० 15, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट जगापुर, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/1254



मो० आसिफ

2. **साक्षी का नाम :-** जमील पुत्र मुख्तार अहमद, निवासी हीरागंज वार्ड नं० 15, नगर पंचायत हीरागंज बाजार, पोस्ट जगापुर, थाना महेशगंज, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 230204, आधार संख्या– XXXX/XXXX/7160



जमील

मसविदाकर्ता :- अब्दुल वाहिद अली एडवोकेट
कचहरी कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, मो० 9455808628

अब्दुल वाहिद अली
एडवोकेट
रजि० स० UP10374/16
कचहरी कुण्डा–प्रतापगढ़
मो०–9455808628

Scanned by PDF Scanner



ज़मील



Scanned by PDF Scanner

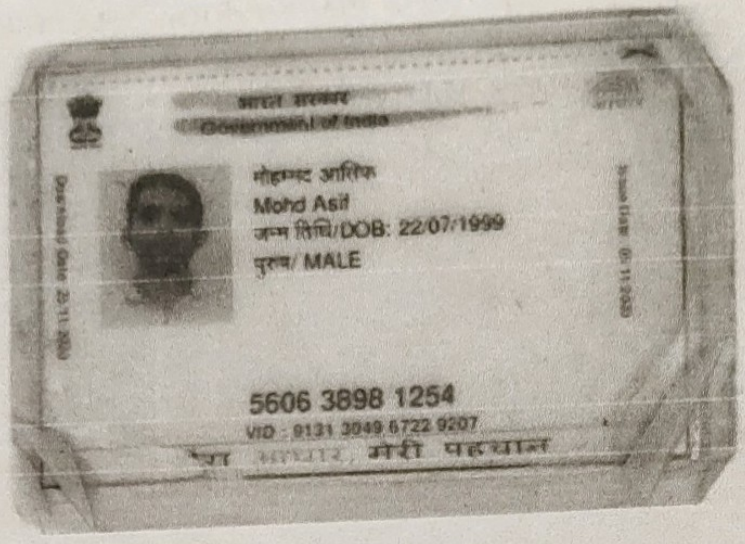
आवेदन सं०: 202300881010251

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 84 के पृष्ठ 237 से 258 तक क्रमांक 125 पर दिनाँक 18/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

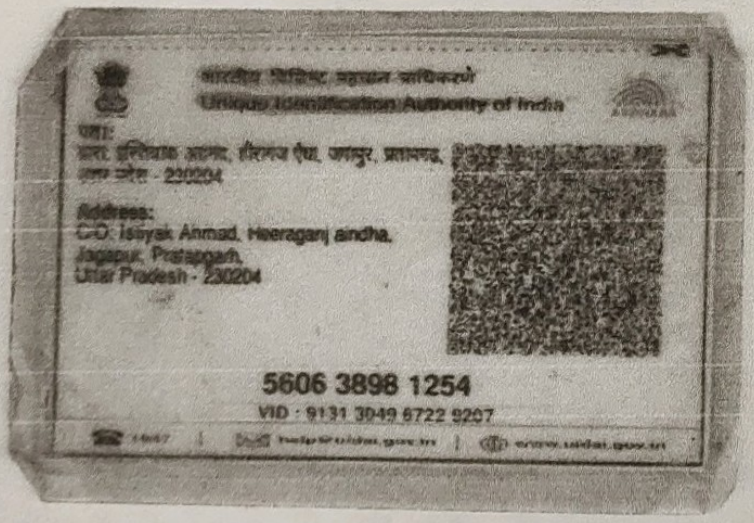
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमरजीत सिंह प्रभारी
उप निबंधक : कुंडा
प्रतापगढ़
18/10/2023

Scanned by PDF Scanner



मो० आसिफ



Scanned by PDF Scanner

भारत सरकार
Government of India

आधार



विद्योत्मा सिंह
Vidyottma Singh
जन्म तिथि/DOB: 07/02/1991
महिला/ FEMALE

Issue Date: 28/02/2015

4364 2463 0319
VID : 9176 5931 4737 2634
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता :
अर्धांगिनी :शरद कुमार सिंह ,हीरागंज जगापुर
कुण्डा प्रतापगढ़ ,उत्तर प्रदेश 230204

Address:
W/o :Sharad Kumar Singh,Heeraganj,Jagapur,
Kunda,Pratapgrh,Uttar Pradesh,230204

4364 2463 0319
VID : 9176 5931 4737 2634

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Scanned by PDF Scanner